



2026:AHC-LKO:20618

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 347/2026

भूपेन्द्र सिंह उर्फ रिशु सिंह

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार शुक्ला

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

### न्यायालय संख्या - 28

#### माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. द्वारा आज दायर किया गया प्रति-शपथ पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दायर किया गया प्रत्युत्तर शपथ-पत्र भी अभिलेख पर ले लिया गया है।

दिनांक 06.02.2026 के आदेश के अनुसार, विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी किया गया था और कार्यालय की आख्या के अनुसार, यह नोटिस विपक्षी पक्ष संख्या 2 को तामील करा दिया गया है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो न तो विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित था और न ही कोई प्रति-जवाब दाखिल किया गया है; इसलिए, इस न्यायालय के पास इस मामले में कार्यवाही बढ़ाकर वर्तमान अपील पर निर्णय देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना, और अभिलेख का भी अवलोकन किया।

यह वर्तमान आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-क (2) के तहत रायबरेली के विद्वान विशेष न्यायाधीश अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम) द्वारा दिनांक 12.01.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। यह आदेश जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3736/2025 के संबंध में पारित किया गया था, जो मामला अपराध संख्या 454/2025 से उत्पन्न हुआ है। यह मामला भा०न्या०सं. की धारा 140(2), 115(2), 352, 351(3) और अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत, थाना लालगंज, जिला रायबरेली में दर्ज है; जिसके द्वारा अपीलकर्ता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में बहुत ज्यादा देरी हुई है और इसके लिए कोई भी उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चोटें मामूली प्रकृति की हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अपीलकर्ता के बताने पर कोई भी ऐसी वस्तु बरामद नहीं हुई है जो उसे दोषी साबित करता हो। उन्होंने आगे निवेदन किया कि इस अपीलकर्ता की भूमिका भी सह-अभियुक्त, यानी विभव सिंह उर्फ अभय सिंह जैसी ही है, जिसे इस न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 4042/2025 में दिनांक 28.01.2026 के आदेश के तहत जमानत दे दी थी; इसलिए, समानता के सिद्धांत के आधार पर इस अपीलकर्ता को भी जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। इसके बाद उन्होंने यह निवेदन किया कि अपीलकर्ता 13.10.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया है; यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और वह मुकदमे की कार्यवाही में भी पूर्ण सहयोग देगा। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अपीलकर्ता साक्षियों को, या



इस मामले के तथ्यों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को डराएगा-धमकाएगा या उन पर दबाव डालेगा।

उपर्युक्त कारणों से, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, तथा आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाए और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को रिहा किया जाए।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का ज़ोरदार ढंग से विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के बयान को सही तरीके से समझा है; इसलिए, अपीलकर्ता ज़मानत पर रिहा होने का पात्र नहीं है और इस आपराधिक अपील को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, वह अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश की गई अन्य तथ्यात्मक निवेदनों का खंडन करने में विफल रहे हैं।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के निवेदन पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद, यह पता चलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में बहुत ज़्यादा देरी हुई है और इसके लिए कोई भी उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है; प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी का कोई ज़िक्र नहीं है; चोटें मामूली प्रकृति की हैं; अपीलकर्ता के बताने पर कोई भी ऐसी वस्तु बरामद नहीं हुई है जो उसके अपराध को साबित करता हो; सह-अभियुक्त, जिसका नाम विभव सिंह उर्फ अभय सिंह है और जिसकी भूमिका भी वैसी ही थी, उसे ज़मानत दे दी गई है; अपीलकर्ता 13.10.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में भी स्पष्ट किया है, साथ ही उसने यह वचन दिया है कि यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि अवर न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सही मूल्यांकन करने में विफल रहा है; इसलिए, अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाना उचित है।



तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है। परिणामस्वरूप, विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, रायबरेली द्वारा ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 3736/2025 में दिनांक 12.01.2026 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश—जो मुकदमा अपराध संख्या 454/2025 से उत्पन्न हुआ है, और जिसमें भा०न्या०सं० की धारा 140(2), 115(2), 352, 351(3) तथा अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 3(2)(V) के तहत आरोप हैं थाना लालगंज, ज़िला रायबरेली—एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अपीलकर्ता **भूपेंद्र सिंह उर्फ रिशु सिंह** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए:

- I. अपीलकर्ता परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- II. अपीलकर्ता परीक्षण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- III. अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- IV. अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
- V. अपीलकर्ता, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- VI. अपीलकर्ता निर्धारित प्रत्येक तारीख पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- VII. अपीलकर्ता साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- VIII. अपीलकर्ता, धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान अंकित करने के लिए निर्धारित तारीखों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।



उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

चूँकि यह आदेश अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

**20 मार्च 2026**

केकेवी/

(न्यायमूर्ति, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)